PROPOSED LAYOUT PLAN "SAMURAI VALLEY-I "

AT VILLAGE :- MANDAU, TEH.:- SANGANER, JAIPUR.

1188/B/21.11.22

ROAD 18.0 MT. WIDE

358 360 363 362 359 361 363/1 365 380 382 379 381 686/678 684/378 687/678 685/378 405 367 690/679 688/377 689/377 375 376

JDA APPROVED SAMURAI VALLEY

ROAD 12.0 MT. WIDE

ROAD 9.0 MT. WIDE

ROAD 9.0 MT. W

PARK
878.14
SQ.MTR.

7.50X14.00=105.00 SQ.MTR

7.50X16.00=120.00 SQ.MTR

7.00X14.00=98.00 SQ.MTR

7.00X12.00=84.00 SQ.MTR

SCALE:-1=6

KEY PLAN



1. योजना में सम्मिलित सभी खसरो की 90–ए का निर्णय दिनांक 29.08.2022 को पारित किया गया है।
2. योजना की भूमि रा.भू.रा अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं खसरा सीमा प्रमाणीकरण अमीन द्वारा किया गया है।
3. योजना का अनुमोदन बी.पी.सी (एल.पी) की 324वीं बैठक दिनांक 15.09.2022 को किया गया, जिसकी अनुपालना में अनुमोदित मानचित्र जारी किया गया है।
4. योजना मानचित्र टाउनशिप पॉलिसी–2010 के प्रावधानानुसार जारी किया गया है।
5. कार्नर के भूखण्डों में नियमानुसार क्षेत्रफल कम किया गया है।
6. योजना के भूखण्डों में भवन–मापदण्ड भवन विनिमय–2020 के अनुसार देय होंगे।
7. योजना को पूर्व अनुमोदित योजना समुराई वैली की 12 मीटर चौडी आंतरिक सड़क से पहुंच मार्ग उपलब्ध है। अतः पूर्व अनुमोदित योजना समुराई वैली का योजना मानचित्र रिकार्ड शाखा में कमांक 1179/बी दिनांक 09–11–2022 को जारी होने के पश्चात ही प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की गई है।
8. आवेदित भूमि में इन्फोर्मल शॉप्स कुल भूखण्डों के आधार पर टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार प्रस्तावित किये गये है, जिसमें आवेदक द्वारा रिटेल शॉप में जी+1 का निर्माण करते हुए बेचान किया जायेगा।
9. आवेदित भूमि एल.टी. लाईन से प्रभावित है, जिसे आवेदक के खर्चे से हटवाये जाने के उपरांत ही प्रभावित भूखण्डों के लीज डीड जारी की जावेगी।
10. योजना में सुनियोजित विकास एवं यातायात की सुगमता के दृष्टिगत नियमानुसार 9 मीटर आन्तरिक सड़क रखी गई है।
11. आन्तरिक विकास कार्य के एवज में 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के निम्न भूखण्ड जविप्रा में रहन रखे जाते है– भूखण्ड संख्या 75–80 व 85–87 कुल क्षेत्रफल 1350.00 वर्गमीटर रहन रखे गये है।

सहायक नगर नियोजक जोन–11 | तहसीलदार जोन–11 | उपायुक्त जोन–11

अति. मुख्य नगर नियोजक, बी.पी.सी. (एल.पी.) | अति. मुख्य नगर नियोजक, बी.पी.सी.(एल.पी.)

इसमें खसरा सुधार किया गया है।

KHASRA MAP

NOT TO SCALE

मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार भू उपयोग
भूखण्डों की निर्माण स्थिति :–

आवासीय व्यावसायिक

1. पूर्ण / आंशिक निर्मित भूखण्ड –
2. चार दीवारी निर्मित भूखण्ड –
3. खाली भूखण्ड 91

कुल भूखण्ड

मौके के अनुसार योजना का भू उपयोग व तकनिकी विश्लेषण :–

कमांक	भू उपयोग	क्षैत्रफल (Sq.mtr)	प्रतिशत
1	आवासीय	9573.81	55.34%
2	फुटकर व्यावसायिक	48.00	0.28%
3	EWS	410.25	2.37%
4	LIG	489.38	2.83%
5	कचरा निस्तारण केन्द्र	50.00	0.29%
6	टेलीकॉम टॉवर	10.00	0.06%
7	PARK	878.15	5.08%
8	P.U. (I)	10.00	0.06%
9	सड़क	5830.41	33.69%
10			
कुल योजना क्षेत्र		17300.00	100.00%

योजना की भूमी की रा.भू.रा. अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही एवं मौके पर भूमि का प्रमापीकरण मेरे द्वारा किया गया। योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।

नाम तहसीलदार | नाम उपायुक्त जोनः–

बी.पी.सी / जी. एल. सी. की बैठक संख्या दिनांक की अनुपालना में योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया गया।

NAME OF SCHEME :–"SAMURAI VALLEY"
VILLAGE :– MANDAU
TEH. :– SANGANER

ZONE NO. 11 SECTOR NO.53

SCALE 1= DRG. NO.

A.T.P. ZONE | D.T.P. | S.T.P.

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR